

पटना में दिनांक-12 अक्टूबर, 2026 सोमवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आदर्श ग्राम योजना घटक का अंगीकरण एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 634.41 करोड़ रु० (छः सौ चौतीस करोड़ एकतालिस लाख रु०) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के मांग संख्या-05 अन्तर्गत विपत्र कोड-05-2012030900001 के विषय शीर्ष-20 02-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में रु० 90,00,000/- (नब्बे लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष-16 01-प्रकाशन एवं मुद्रण मद में रु० 60,00,000/- (साठ लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

3. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 में संशोधन हेतु बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल-पीपराकोठी में नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु पूर्व में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.08.2026 के मद सं०-16 में दी गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए अंचल-सदर मोतिहारी, मौजा-बरियारपुर, थाना सं०-196 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) बिहार सरकार की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | पटना में गर्दनीबाग टेक पार्क का निर्माण एवं विकास हेतु एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०-131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर चयन तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 7. | “बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा नियमावली, 2026” के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सहकारिता विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 8. | भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% CRAR (Capital-to-Risk weighted Assets Ratio) का स्तर प्राप्त करने हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, खगड़िया को पूंजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़ रुपये) अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। | 8. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सहकारिता विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 9. | बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० एवं इससे सम्बद्ध सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से “साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (CSOC)” स्थापित करने हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना को कुल रु० 66,11,68,183/- (छियासठ करोड़ ग्यारह लाख अड़सठ हजार एक सौ तिरासी) मात्र के सहायता अनुदान की स्वीकृति। | 9. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 10. | राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय, बक्सर में सह-प्राध्यापक (द्रव्यगुण विभाग एवं शरीर क्रिया विभाग) के लिए दिनांक-01.06.1991 से 01.06.1996 तक दो पद एवं प्राध्यापक, (अगद तंत्र विभाग) के लिए दिनांक-01.06.1996 से दिनांक-30.06.2020 तक एक पद अर्थात् कुल 3 (तीन) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन के संबंध में। | 10. | स्वीकृत। |
|-----|---|-----|----------|

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- | | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 11. | गुजरात एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्व० कैलाशपति मिश्र की जयंती प्रत्येक वर्ष 05 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) परिसर, पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में। | 11. | स्वीकृत। |
|-----|--|-----|----------|

सिविल विमानन विभाग

12. विभागीय स्वीकृतिादेश संख्या-46, दिनांक-22.01.2026 द्वारा स्वीकृति प्रदत्त दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माणार्थ 50.0004 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु ₹1,38,73,77,534/- (एक सौ अड़तीस करोड़ तिहत्तर लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ चौतीस रुपये) मात्र के विरुद्ध 49.9973 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु मुआवजा राशि ₹2,25,91,30,742/- (दो सौ पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख तीस हजार सात सौ बयालीस रुपये) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

13. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2026 में अधिसूचित "क्षेत्रीय संपर्क योजना-संशोधित उड़ान (संस्करण 6.0)" के अंतर्गत चैलेंज मोड में राज्य के हवाई अड्डों एवं हेलीपॉर्टों के नामांकन हेतु राज्य सरकार की दायित्वों से संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

14. "राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) का सुदृढीकरण" परियोजना के अंतर्गत अधिष्ठापित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, नेटवर्क संरचना, वीडियो वॉल सिस्टम, सर्वर आर्किटेक्चर तथा अन्य एकीकृत प्रणालियों के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-13183 दिनांक-09.12.2024 द्वारा परिचारित बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के परिशिष्ट-16 के आलोक में नामांकन के आधार पर कार्यकारी एजेंसी Graphic Trades Private Limited (GTPL), पटना के साथ 03 वर्षों के लिए CAMC की स्वीकृति के संबंध में।

14. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

15. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत/नवीनीकरण एवं पंचवर्षीय रख-रखाव हेतु "ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" को लागू किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

16. मुंगेर जिलान्तर्गत भू-जल की अपर्याप्ता एवं गुणवत्ता (फ्लोराईड) प्रभावित हवेली खड़गपुर एवं टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत 14 पंचायत के 177 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढीकरण हेतु खड़गपुर झील के सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (22 MLD) के निर्माण एवं 5 (पाँच) वर्षों तक O&M हेतु 279.51 करोड़ (दो अरब उनासी करोड़ एकावन लाख रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. वैशाली जिलान्तर्गत भू-जल की अपर्याप्तता से प्रभावित महुआ एवं चेहराकला प्रखंड अन्तर्गत कुल 36 पंचायत के 493 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढीकरण हेतु गंगा नदी के सतही जल के उपयोग से बहुग्राभीण जलापूर्ति योजना (क्षमता 72 MLD) के निर्माण तथा 05 (पाँच) वर्षों तक परिचालन एवं रख-रखाव (O&M) हेतु 506.71 करोड रुपये (पाँच सौ छः करोड एकहत्तर लाख रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।
17. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

18. पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में कुल 10 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर जन-निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के माध्यम से एक पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-2572 दिनांक-27.08.2025 की कंडिका-5(ख) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।
18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या-447(S) सहपठित ज्ञापांक-448(S) दिनांक-16.01.2020 को निरसित करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046(S) दिनांक-06.03.2014 द्वारा निरूपित प्रतिशत दर निविदा में न्यूनतम दर सीमा 10% (दस प्रतिशत) को पुनः बहाल करने एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभू लिये जाने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

20. भीम बाँध क्षेत्र में ईको टूरिज्म के समग्र विकास हेतु तैयार किये गये तीन कलस्टरों में विकास के प्रस्तावों को जन-निजी भागदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21. बिहार के महान सपूत, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, पद्म भूषण स्व० रामविलास पासवान की जयंती प्रत्येक वर्ष 05 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
21. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

22. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० के अंतर्गत 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र तारापुर को दूसरा स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने हेतु 01 अर्द्ध 132 के०वी० डबल सर्किट नये संचरण लाईन एवं संबंधित 04 अर्द्ध लाईन 'बे' के निर्माण करने के लिए कुल 51.07 करोड़ (इक्यावन करोड़ सात लाख) रुपये की नई योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

23. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सुपौल जिले के पिपरा प्रखण्ड में एक नये 2x200+2x80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 220/132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण एवं संबंधित 220 के०वी० एवं 132 के०वी० संचरण लाईन के निर्माण हेतु 575.36 करोड़ (पाँच सौ पचहत्तर करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 115.07 करोड़ (एक सौ पंद्रह करोड़ सात लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 460.29 करोड़ (चार सौ साठ करोड़ उन्नतीस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

23. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

24. वर्ष 2027 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।

24. स्वीकृत।